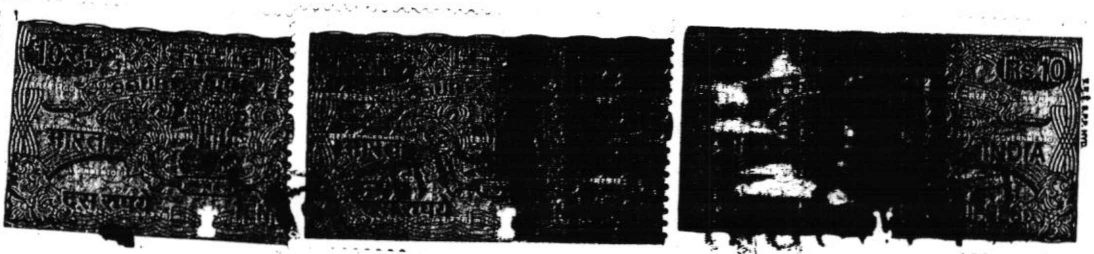

III/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2550

माननीय न्यायालय म0प्र0 राजस्व मण्डल, ग्वालियर (**म0प्र0**)

प्र0क0 /2017 निगरानी

1. श्रीमती पुष्पा पत्नी **हरीसिंह** आयु 60 वर्ष
2. श्रीमती अंगूरी पत्नी **श्री** भरतसिंह आयु 40 वर्ष दोनों जाति **किरार**, निवासीगण ग्राम सिंहोरा मौजा **नूराबाद** रा0नि0म0 नूराबाद, तेहसील व **जिला** मुरैना म0प्र0

............निगरानीकर्तागण

श्री परमाल सिंह धाकरिया द्वारा आज दि. 5-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. जसवंत सिंह
2. रामहेतसिंह पुत्रगण **परशराम** दोनों जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम **जयनगर**, चौखूटी (मोर का पुरा) तहसील **व जिला** मुरैना म0प्र0
3. रा0नि0 वृत्त 07, **नूराबाद** तहसील व जिला मुरैना म0प्र0
4. म0प्र0 शासन जर्ये **श्रीमान** कलेक्टर महोदय, मुरैना म0प्र0

श्री परमाल सिंह धाकरिया
2250 मुरैना

............**गैरनिगरानीकर्तागण**

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व **संहिता** विरूद्ध आदेश दिनांक 03.05.2017 प्रकरण कमांक 10/**2016**–17/अ–12 पारित द्वारा श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत –07 **नूराबाद** तहसील व जिला मुरैना म0प्र0</u>

श्रीमान महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्तागण की **ओर से** निगरानी निम्नांकित प्रस्तुत है :–

1. यह कि मौजा नूराबाद तहसील व जिला **मुरैना** में स्थित आराजी (भूमि) सर्वे कमांक 1191 रकवा 0.800हे0, सर्वे **कमांक** 1316 रकवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2550 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री परमाल सिंह छावरी उपस्थित। अनावेदक पूर्व से अनुपस्थित हैं। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	